

झारखण्ड सरकार  
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

-:: प्रेस विज्ञप्ति ::-

झारखण्ड शिक्षा न्यायाधिकरण, राँची के शिक्षाविद् सदस्य एवं प्रशासनिक सदस्य के रिक्त एक-एक पद पर नियुक्ति हेतु निम्नलिखित योग्यताबुलूप शैक्षणिक एवं प्रशासनिक क्षेत्र में अनुभव वाले भारत के नागरिकों से विहित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किया जाता है।

2. उपर्युक्त आवेदन पत्र संयुक्त सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड अधिकारी तक राँची, एम०डी०आई० बिल्डिंग, धुर्वा, राँची के कार्यालय में दिनांक- 31.8.2021 कार्यालय द्वारा जमा किया जा सकता है।

3. निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

4. शिक्षाविद् सदस्य हेतु अहर्ता-

(क) वह किसी विश्वविद्यालय का कुलपति हो या रहा हो।  
या

(ख) वह किसी विश्वविद्यालय का विगत 5 वर्षों से प्रोफेसर हो या 5 वर्षों तक प्रोफेसर रहा हो।  
या

(ग) वह किसी शिक्षा सेवा वर्ग-1 का पदाधिकारी 15 वर्षों से हो या 15 वर्षों तक रहा हो।

(घ) सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक किसी भी क्षेत्र में विशेषज्ञ इस प्राधिकरण का सदस्य हो सकता है।

5. प्रशासनिक सदस्य हेतु अहर्ता-

कोई भी व्यक्ति न्यायाधिकरण का प्रशासनिक सदस्य नहीं हो सकता जबतक की वह दो वर्षों तक कम से कम झारखण्ड राज्य के अपर सचिव के पद एवं वेतनमान अथवा केव्वल सरकार या राज्य सरकार में झारखण्ड सरकार के कम से कम अपर सचिव के वेतनमान के पद पर कार्यरत न रहा हो तथा उसे समुचित प्रशासनिक अनुभव न रहा हो।

झारखण्ड शिक्षा न्यायाधिकरण के सदस्य का कार्यकाल योगदान की तिथि से 3 वर्षों का होगा।

6. झारखण्ड शिक्षा न्यायाधिकरण अधिनियम-2005 के कंडिका-6 के अनुरूप नियुक्त सदस्यों को वेतन-भत्ता देय होगा।

- नोट:- (1) आवेदन केवल विहित प्रपत्र में और उचित माध्यम से प्राप्त, ही स्वीकार्य होंगे।  
(2) शिक्षाविद् एवं प्रशासनिक सदस्य के लिए अलग-अलग आवेदन ही मान्य होंगे।  
(3) विभाग द्वारा गठित स्क्रीनिंग समिति के माध्यम से अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा।  
(4) विहित प्रपत्र विभागीय वेबसाईट <http://education.jharkhand.gov.in> से डाउनलोड किया जा सकता है।

✓

28.7.21

सरकार के संयुक्त सचिव।

झापांक- 03/JET-02/2020....., 14.53,

राँची, दिनांक- 28.07.21

...../ प्रतिलिपि-उप निदेशक, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, झारखण्ड, राँची एवं विभागीय वेबसाईट के नोडल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।  
2. सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, झारखण्ड, राँची से अनुरोध है कि राज्य स्तरीय सभी हिन्दी एवं अंग्रेजी अखबारों में लगातार तीन दिनों तक विज्ञापन प्रकाशित करने की कृपा करेंगे।

✓

28.7.21

सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखण्ड शिक्षा न्यायाधिकरण के लिए शिक्षाविद् सदस्य / प्रशासनिक  
सदस्य हेतु आवेदन प्रपत्र

1. नाम –
2. पिता/पति का नाम –
3. जन्म तिथि – फोटो  
रवअभिप्रमाणित
4. लिंग –
5. धर्म –
6. जाति –
7. वैवाहिक स्थिति –
8. राष्ट्रीयता –
9. वर्तमान पदनाम (यदि कोई हो तो स्पष्ट उल्लेख करें) –
10. अगर सेवानिवृत हो तो सेवा निवृत्ति के समय धारित पद का नाम –
11. पता –
  - (A) स्थायी पता –
  - (B) पत्राचार पता –
12. ई-मेल आईडी –
13. दूरभाष/मोबाइल संख्या –
14. शैक्षणिक योग्यता –

क्रमांक	शैक्षणिक स्तर	बोर्ड/विश्वविद्यालय	उत्तीर्णता श्रेणी	वर्ष

15. शैक्षणिक/प्रशासनिक अनुभव/सेवा इतिहास –
16. उपलब्धियाँ/विशिष्ट कार्य –

.....

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर